न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रजि0 नं०– BR-19N-3941

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या–436 / 2020–21,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रजि0 नं०– BR-19N-3941 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 1407 / हि०शा०, दिनांक 08.05.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव महिषी थाना कांड संख्या– 47 / 2020 में जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रजि0 नं०– BR-19N-3941 के अधिहरण से संबंधित है। महिषी थाना कांड संख्या– 47 / 2020, घटना का स्थान– कोशी बांध तेघरा एवं तेघरा गाँव, धटना की तिथि– 08.03.2020 के संबंध में पुलिस द्वारा प्रतिवेदित घटना की संक्षिप्त विवरणी यह है कि– "यह काण्ड दिनांक–08.03.2020 को वादी स०अ०नि० पैकस टोपो, महिषी थाना के आवेदन पर विरूद्ध अभि0 चन्दर सादा पे0 स्व0 हरि सादा एवम बिन्धन सादा उर्फ चन्दन सादा पे0 चन्द्रकिशोर सादा दोनों सा0 तेघरा थाना महिषी, सहरसा को अवैध रूप से देशी एवंम विदेशी शराब के बिक्री करने एवम् अवैध रूप से भंडारण करने के आरोप में अंकित किया गया है। उक्त कांड के वादी स्वयं सशस्त्र बल को गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तगण को कोशी बांध पर मोटर साईकिल नं0 BR-19N- 3941 पर देशी शराब के साथ पकरा गया तथा बरामद किया गया एवं उसके बताये अनुसार निशानदेही पर अभि0 बिन्धन सादा के घर से विदेशी शराब करीब 40 लीटर 950 एम0एल0 विधिवत बरामद किया गया। बरामदगी पश्चात् शराब को विधिवत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर थाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। काण्ड के दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा	

गया है। उक्त कांड में जब्त शराबों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार देशी शराब को उत्पाद अधीक्षक सहरसा एवम् विदेशी शराब का नमूना को रसायन उत्पाद परिक्षक विभाग बिहार पटना को भेजा गया है। कांड का अनुसंधान पूर्ण है।''

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब के विनष्टीकरण हेतु दिनांक 15.09.2020 को आदेश दिया गया एवं जप्त स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रजि0 नं०– BR-19N-3941 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

प्रतिवादी के ओर से वकील सादा पिता– साजन सादा, साकिन– तेघड़ा, पोस्ट– के. बलुआहा, थाना–महिषी, जिला– सहरसा उपस्थित हुए। उनके ओर से माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद CWJC NO- 8621/2020 की प्रति दाखिल की गई। इसके अतिरिक्त उनके ओर से न तो कोई अन्य कागजात या लिखित पक्ष ही प्रस्तुत किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त वाहन व अभियुक्त को रंगे हाथ अवैध शराब के परिवहन करने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, पुलिस अधीक्षक सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त वाहन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँक जप्त वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन मोटर साईकिल नं0 BR-19N- 3941 का अधिहरण करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण करने हेतु आदेशित किया जाता है।

अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान परीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23/11/2020	23/11/2020
समाहर्त्ता	समाहर्त्ता
सहरसा।	सहरसा।

ज्ञापांक 1063 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 23.12.20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

23.12.20